14.7.2020

B.Ed. (2018-20)

COURSE EPC-4: UNDERSTANDING THE SELF.

UNIT 2: YOGA & ITS ROLE IN SELF-WELL-BEING.

आत्मकल्याण में योग तथा इसकी भूमिका।

Topic (c) Developing capabilities for mediation — Listening to the conflicting parties, awareness of context of conflict, Conflict between teachers, Conflict between teachers and students, skill and strategies for conflict resolution.

मध्यस्थता के लिए क्षमता संवर्धन — परस्पर विरोधी दलों को सुनना, विवादों के कारण के प्रति जागरूकता, शिक्षकों के बीच विवाद, विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के बीच विवाद, संघर्ष समाधान हेतु रण नीति तथा क्षमता, कौशल।

एक शिक्षक का उत्तरदायित्व बच्चों को सिखाने पढ़ाने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके ऊपर संस्थान का संचालन तथा पूरे पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या के संचालन की भी जिम्मेदारी होती है। किसी भी संस्थान के अंतर्गत शिक्षण-प्रशिक्षण गतिविधियों के संचालन हेतु काफी नियम बनाए जाते हैं। जिसका अनुपालन शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के

② लिए जरूरी होता है।
कभी कभी नियम कायदे इतने जटिल होते हैं कि उनका अनुपालन नहीं हो पाता। कभी-कभी परिस्थिति वश नियम तोड़ दिए जाते हैं। मसलन्

① संस्थान में अनुपस्थिति पर कर्मचारी या छात्र/छात्राओं पर पेनाल्टी लगाना, जबकि वो विपरीत परिस्थिति की वजह से संस्थान में उपस्थित नहीं हो पाए।

(ii) बच्चों द्वारा अनुशासण भंग करने पर उन्हें सजा देना, जबकि बच्चों को सजा मंजूर नहीं।

(iii) शिक्षकों के बीच विषय पढ़ाने को लेकर द्वंद्व।

(iv) शिक्षकों के बीच आपसी तालमेल का अभाव।

(v) विभिन्न संस्कृति, क्षेत्र, समाज से आने वाले बच्चों के बीच परस्पर टकराव।

(vi) तय समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने को लेकर विवाद।

(vii) संस्थान के फीस, तथा परीक्षाफल पर असंतुष्टी के वजह से विवाद।

(viii) अत्यधिक कड़े नियम की वजह से बच्चों द्वारा नियम कायदे का विरोध।

(ix) शिक्षक तथा बच्चों के बीच आपसी तालमेल का अभाव।

(x) अहम का टकराव, उद्देश्य पूर्ति न होने पर असंतोष की स्थिति आदि बिन्दुओं पर विरोध होते ही रहते हैं।

उपरोक्त बिन्दुओं पर हर शिक्षण संस्थान में विवाद, विरोध होते ही रहते हैं। अतः ऐसी परिस्थिति को सम्भालने तथा समस्या के समाधान निकालने हेतु शिक्षकों को ही आगे आना होता है।

परस्पर विरोध की परिस्थिति में किसी तीसरे पार्टी द्वारा मध्यस्थता की जाती है। दोनों पक्ष समझौता करते हैं, अतः समस्या का समाधान निकाला जाता है। मध्यस्था करने वाली तीसरी पार्टी को दोनों पक्षों के विचार तथा समस्या की पूर्ण जानकारी रखना आवश्यक होता है। उसे संस्थान के नियम कायदे की भी संपूर्ण जानकारी रखना आवश्यक है, साथ ही साथ दोनों पक्षों से बेहतर संबंध बनाए रखना भी आवश्यक होता है। मध्यस्था करने वाले को वाकपटु होना जरूरी है। उसे मृदुभाषी, संयमित तथा निर्भीक व्यक्तित्व का होना चाहिए। उसे दोनों पक्षों की बातों को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। तभी संघर्ष समाप्त किया जा सकता है।

इन सभी बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि संघर्ष की स्थिति उत्पन्न ही न होने दिया जाए। इसके लिए हर संस्थान में कमिटी बनाई जाती है। जिसे छात्र-कल्याण संघ, या शिक्षक कल्याण कमिटी आदि नाम दिए जाते हैं। इस कमिटी का काम यह होता है कि वह हर एक प्रकार के समस्या पर पैनी नजर रखे। समस्या समाधान हेतु सदैव तत्पर रहे और समय रहते समस्या का समाधान हो जाए। इस कमिटी में प्रबंधन समिति के सदस्य, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, छात्र/छात्राओं के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। सब आपसी तालमेल से वाद-विवाद

था परस्पर संघर्ष का निपटारा करते हैं। अतः एक शिक्षक होने के नाते सिर्फ पठन- पाठन तक ही कार्यक्षेत्र सीमित नही रहते बल्कि शिक्षक का कार्यक्षेत्र विशाल होता है।

आज हमनें जाना कि परस्पर संघर्ष को रोकने हेतु, संस्थान तथा पाठ्यचर्या को सुचारु रूप से चलाने हेतु मध्यस्थता की सटीक रणनीति की जानकारी रखना कितना आवश्यक है।

रमण कुमार
सहायक प्राध्यापक
एल० के० मिश्रा० कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन
झिल्ली मोड़ दरभंगा।

फोन = 8877439545